

सार्वजनिक प्रकटीकरण और सूचना प्रदत्ता संरक्षण
संकल्प, 2004 (PIDPI)



PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION
OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)



क्या आपके आस-पास भ्रष्टाचार हो रहा है?
'PIDPI' के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करें।
आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी

IS THERE CORRUPTION AROUND YOU?
LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI.

YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT CONFIDENTIAL

सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2021 की पहल

A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE

लिखित शिकायत यहाँ भेजें:
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग,
सतर्कता भवन, ब्लॉक - ए,
नई दिल्ली - 110 023

SEND COMPLAINTS IN WRITING TO:
The Secretary, Central Vigilance Commission
Satarkta Bhavan, Block-A
GPO Complex, INA
New Delhi - 110 023

(लिफाफे पर 'PIDPI' अंकित करें। शिकायत केवल भारत
सरकार के कर्मचारियों, जिनमें PSUs, PSBs एवं UTs
इत्यादि सम्मिलित हैं, के खिलाफ हो)

(MARK THE ENVELOPE AS "PIDPI". COMPLAINTS SHOULD ONLY BE
AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs
AND UTs ETC.)

PIDPI
शिकायत
क्या है?
और इसे
कब किया
जाए?

- 1 सार्वजनिक प्रकटीकरण और सूचना प्रदत्ता संरक्षण संकल्प के अंतर्गत की गई शिकायत को PIDPI शिकायत कहा जाता है।
- 2 यदि कोई शिकायत 'PIDPI' के अंतर्गत की गई है तो शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है।
- 3 इस तरह की शिकायत के लिफाफे पर 'PIDPI' लिखकर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा सकता है।
- 4 'PIDPI' के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (जिनमें PSUs, PSBs UTs इत्यादि सम्मिलित हैं) के खिलाफ की गई शिकायतों को ही संज्ञान में लिया जाएगा।
- 5 अधिक जानकारी <http://www.cvc.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती है।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह
2021 की पहल

PIDPI
COMPLAINTS:
WHAT ARE
THEY?
& WHEN
SHOULD YOU
MAKE
THEM?

- 1 Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution are termed as PIDPI complaints
- 2 If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential
- 3 The complaint should be addressed to the Secretary, Central Vigilance Commission and envelope should be marked as "PIDPI"
- 4 Only complaints against Central Government officials (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance
- 5 For more details visit <http://www.cvc.gov.in>.

A VIGILANCE AWARENESS WEEK
2021 INITIATIVE